

**फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ**

सुशील कुमार



बनाम

मुख्त्यार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 74

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
05.05.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल/अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 71/65 की कुल 3.4150 है मे से 1/12 हिस्सा व खाता संख्या 33/31 की कुल 7.3230 हैक में से 559/14646 हिस्सा व खाता संख्या 148/148 की कुल 6.4880 हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 23.06.2022 को पेश हो।</p> <p align="center">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> वकील सायल ने यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल/अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 71/65 की कुल 3.4150 है मे से 1/12 हिस्सा व खाता संख्या 33/31 की कुल 7.3230 हैक में से 559/14646 हिस्सा व खाता संख्या 148/148 की कुल 6.4880 हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 23.06.2022 को पेश हो। </p> <p> पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ...दिनांक 23/06/22 को पेश हो पत्रावली दिनांक 23/06/22 को पेश हो </p>	

286
22

7/11
22

6 ²/₂₃ (कौशल आगल उपस्थित / कौशलमान उपस्थित नहीं)
पत्रावली इन्तजार (बोर्गवारी) हेतु दिनांक 25/5/23
को पत्र हो

25/5/23 पत्रावली प्रशासन गांव के लोग अग्रियाय लक्ष
2023 केस कोर्ट में पेश हुई। इसके अलावा
वाड का निराकरण हो चुका है। इसलिए उक्त
प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दायित्व
लेफ्टर हो।

उपअधीन अधिकारी (सजद)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली
पत्रावली

25/5/23

पत्रावली
पत्रावली